भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1605
09 दिसंबर, **2025** को उत्तरार्थ

विषय- पीएमएफबीवाई के बीमा दावों का समय पर निपटान
1605.श्री लुम्बाराम चौधरीः
श्री बिद्युत बरन महतोः
क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) योजना के कार्यान्वयन के पश्चात से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के अंतर्गत राज्यवार तथा विशेष रूप से राजस्थान के जालोर एवं सिरोही जिलों में कुल कितने किसानों का बीमा किया गया है;
(ख) देश के किसानों को बीमा दावों का समय पर निपटान सुनिश्चित करने के लिए झारखंड सहित राज्यवार तथा विशेष रूप से राजस्थान के जालोर एवं सिरोही जिलों में किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने फसल क्षति का अधिक सटीक आकलन करने के लिए डिजिटल निगरानी या रिमोट सेंसिंग आधारित प्रणाली विकसित की है; और
(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (RWBCIS) देश में खरीफ 2016 मौसम से प्रारंभ की गई थीं। वर्ष 2016-17 में योजना की शुरुआत से लेकर अब तक राजस्थान के जालौर और सिरोही जिलों सहित इस योजना के अंतर्गत नामांकित किसानों आवेदनों का राज्यवार विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

(ख) से (घ): सरकार ने झारखंड और राजस्थान सहित पूरे भारत में इस योजना को और बेहतर ढंग से कार्यान्वित करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं ताकि प्रभावी कार्यान्वयन, समय पर मुआवजा सुनिश्चित किया जा सके और पारदर्शिता लाई जा सके तथा दावों का समय पर निपटान सुनिश्चित किया जा सके।

- सरकार ने सब्सिडी भुगतान, समन्वय, पारदर्शिता, सूचना के प्रसार और किसानों के प्रत्यक्ष ऑनलाइन नामांकन सहित सेवाओं की डिलीवरी, बेहतर निगरानी के लिए व्यक्तिगत बीमित किसान के विवरण अपलोड/प्राप्त करने और व्यक्तिगत किसान के बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिक रूप से दावा राशि का अंतरण सुनिश्चित करने के लिए एकल डेटा स्रोत के रूप में **राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (NCIP)** विकसित किया है।
- दावा वितरण प्रक्रिया की कड़ी निगरानी के लिए, खरीफ 2022 से दावों की भुगतान हेतु **'डिजिक्लेम मॉड्यूल'** नामक एक समर्पित मॉड्यूल चालू किया गया है। इसमें सभी दावों का समय पर और पारदर्शी, प्रोसेसिंग सुनिश्चित करने के लिए NCIP को सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (PFMS) और बीमा कंपनियों की लेखा प्रणाली के साथ एकीकृत किया गया है।
- प्रीमियम सब्सिडी में केंद्र सरकार के हिस्से को राज्य सरकारों के हिस्से से अलग किया गया है ताकि किसानों को केंद्र सरकार के हिस्से से संबंधित आनुपातिक दावों का भुगतान मिल सकें।
- PMFBY के प्रचालन दिशानिर्देशों के अनुसार, यदि बीमा कंपनी द्वारा समय पर भुगतान नहीं किया जाता है, तो खरीफ 2024 से राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (NCIP) के माध्यम से 12% का जुर्माना स्वतः गणना करके लगाया जाएगा।
- इसी प्रकार, यदि राज्य सरकार निर्धारित समय अवधि से अपनी प्रीमियम सब्सिडी में देरी करती है, तो उन्हें भी 12% का जुर्माना देना होगा।
- वर्ष 2025-26 से ट्रांच बेस्ड दावा भुगतान शुरू कर दिया गया है।
- इसके अलावा, योजना के कार्यान्वयन में प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की दिशा में, सीसीई-एग्री ऐप के माध्यम से उपज डेटा/फसल कटाई प्रयोग (CCE) डेटा एकत्र करना और इसे NCIP पर अपलोड करना, बीमा कंपनियों को CCE के संचालन की निगरानी करने की अनुमति देना, NCIP के साथ राज्य भूमि अभिलेखों का एकीकरण आदि जैसे विभिन्न कदम पहले ही उठाए जा चुके हैं ताकि किसानों के दावों का समय पर निपटान करने की प्रक्रिया को बेहतर बनाया जा सके।
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत एस्क्रो खाता खोलना अनिवार्य कर दिया गया है ताकि कार्यान्वयन सत्र के लिए राज्य के हिस्से की सब्सिडी समय पर जारी की जा सके,जिससे पात्र किसानों को दावों के निपटान में देरी को नियंत्रित किया जा सके। इससे राज्यों को यह सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि प्रचालन दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार प्रीमियम सब्सिडी भुगतान में निर्धारित समय सीमा से अधिक देरी न हो।

इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2023-24 से निष्पक्ष फसल क्षति एवं नुकसान आकलन तथा पारदर्शिता के लिए निम्नलिखित प्रौद्योगिकियों को भी कार्यान्वित किया गया है:

i. **यस-टेक (तकनीक पर आधारित उपज अनुमान प्रणाली)** को क्रमिक रूप से रिमोट-सेंसिंग आधारित उपज अनुमान की ओर बढ़ने के लिए कार्यान्वित किया गया है, जिससे उपज का आकलन करने के साथ-साथ निष्पक्ष और सटीक फसल उपज अनुमान लगाने में मदद मिलेगी। यह पहल खरीफ **2023** से धान और गेहूं की फसलों के लिए शुरू की गई है**,** जिसमें उपज अनुमान में **30%** वेटेज अनिवार्य रूप से यस-टेक से प्राप्त उपज को दिया जाएगा। सोयाबीन की फसल को खरीफ **2024** सीज़न से जोड़ा गया है।

ii. **विंड्स (मौसम सूचना नेटवर्क और डेटा सिस्टम)** जो ग्राम पंचायत और ब्लॉक स्तर पर अति-स्थानीय मौसम डेटा एकत्र करने के लिए मौजूदा नेटवर्क से पाँच गुना बड़ा स्वचालित मौसम केंद्रों (AWS) और स्वचालित वर्षामापी यंत्र (ARG) का नेटवर्क स्थापित करता है। इसे भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के समन्वय से अंतर-संचालन और डेटा साझाकरण के साथ एक राष्ट्रीय डेटाबेस में डाला जाएगा। विंड्स न केवल यस-टेक के लिए बल्कि प्रभावी सूखा और आपदा प्रबंधन, सटीक मौसम पूर्वानुमान और बेहतर पैरामीट्रिक बीमा उत्पादों की पेशकश के लिए भी डेटा प्रदान करता है।

अनुबंध

PMFBY और RWBCIS: वर्ष 2016-17 से वर्ष 2024-25 तक बीमित किसानों के राज्यवार आवेदन (31 अक्टूबर, 2025 तक)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बीमित आवेदन (संख्या में)
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	2,920
आंध्र प्रदेश	4,37,16,203
असम	62,88,099
बिहार	52,31,142
छत्तीसगढ़	4,35,44,198
गोवा	3,891
गुजरात	83,94,495
हरियाणा	3,88,85,481
हिमाचल प्रदेश	26,69,243
जम्मू एवं कश्मीर	9,61,259
झारखंड	71,63,259
कर्नाटक	2,23,55,687
केरल	9,63,528
मध्य प्रदेश	10,19,37,987
महाराष्ट्र	13,08,08,719
मणिपुर	38,748
मेघालय	91,819
ओडिशा	6,54,84,317
पुदुचेरी	1,97,592
राजस्थान	19,42,16,079
सिक्किम	13,589
तमिलनाडु	3,81,69,842
तेलंगाना	39,04,037
त्रिपुरा	14,00,683
उत्तर प्रदेश	5,29,44,824
उत्तराखंड	20,00,126
पश्चिम बंगाल	1,38,05,173
कुल	**78,51,92,940**

PMFBY और RWBCIS: राजस्थान के जालौर और सिरोही जिलों में वर्ष 2016-17 से वर्ष 2024-25 तक बीमित किसान आवेदनों का विवरण (31 अक्टूबर, 2025 तक)

जिला	बीमित आवेदन (संख्या में)
जालोर	10,50,047
सिरोही	88,526

******